XXX-Part-21

2005/13
4/1/2014

रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **05/49/01/11475/14**

यह प्रमाणित किया जाता है कि शीला शिक्षा एवं जनकल्याण समिति जो चन्द्रशीलकुंज गायत्री नगर सिंगरौली तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 04/01/2014 को पंजीयित की गई है।

दिनांक चार माह जनवरी सन् 2014

मुद्रा

(जे० के० दुबे)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थायें, रीवा संभाग, रीवा
समितियों के रजिस्ट्रार

11475

प्रारूप क्रमांक 1
(देखिये नियम 3)
समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

Registration No. of the Society
Date of Registration
Date of Filing

1.	सोसायटी का नाम शीला शिक्षा एव जन कल्याण समिति होगा।
2.	सोसायटी का कार्यालय (पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) चंद्र शील कुन्ज गायत्री नगर सिंगरौली, मध्यप्रदेश 486889 तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 7354175724 ईमेल आईडी sksg19@gmail.com
3.	सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:

1	इस पुण्य पवित्र मातृभूमि भारत की अनादी काल से चली आ रही महान संस्कृति के संक्षरण एवं सवर्धन के लिए प्रचारात्मक एवं विविध गतिविधियों को संचालित करना एवं प्रोत्साहित करना और संरक्षण प्रदान करना जिससे भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिस्थापना में सहायता हो।
2	घुमंतू जात, अनुसूचित जात एवं जनजात के उत्थान एवं विकास हेतु विशेष कार्य करना
3	सामाजिक कुरीतियों जैसे बालविवाह,जातिवाद,क्षेत्रवाद,का विरोध करना,महिला उत्पीडन एवं शोषण के खिलाफ आवाज उठाना.
4	अनुसूचित जाति एवं जनजाति को तकनीकी प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित कारन.
5	आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उनके लिए विकासोन्मुखी कार्यक्रम करना/कराना व् आदिवासी छात्रावास का निर्माण करना/कराना.
6	सिंगरौली क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान,विद्यालय,महाविद्यालयपुस्तकालय,अध्ययन केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था करना तथा उचित व विधिवत संचालन करना/कराना
7	क्षेत्र के लोगों को जागरूक बनाना,कंप्यूटर पाठ्यक्रमों का संचालन कराना,नई शिक्षा पद्धति/प्रणाली को ध्यान रखते हुए उच्च तकनीकी शिक्षा,व्यावसायिक शिक्षा,चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च पारम्परिक शिक्षा को संचालित करना/कराना
8	मध्यप्रदेश के लोगों को सर्वांगीण विकाश को ध्यान में रखते हुए उनके लिए शैक्षणिक,अध्यात्मिक एवं नैतिक कार्य का विधिवत संचालन करना/कराना.
9	कृषि कार्यक्रमों के आयोजन तकनीकी तरीको का प्रसार करना.
10	पर्यावरण के संतुलन को बनाने तथा वनों के संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा वनवासियों के विकाश कार्यक्रम करवाना एवं राष्ट्रीय पर्यावरण जागुरुकता अभियान.
11	अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की व्यवस्था करना/कराना बधिर,अंधे व विकलांगजनो को विशेष सहाएता प्रदान करना व उनके सर्वांगीण विकाश हेतु प्रयाश करना.
12	अपने क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा के महत्त्व को बताते हुए उनका विकाश व प्रचार -प्रसार हेतु विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार करना एवं रचनात्मक कार्य करना/कराना.
4.	समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध "शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम पते तथा धंधों का उल्लेख निम्नांकित है:-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	Dr.Pankaj singh	Shri.Chandrakirt sharan singh	अध्यक्ष	648,Medhauli,Singrauli (M.P.), Gayatri Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	service
2	Smt.Priya singh	Dr.Pankaj Singh	सचिव	648-Medhauli,Singrauli (M.P.), Gayatri Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	house wife

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जारी

9-1-2014

सहा० लोक सूचना अधिकारी
कार्या. असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं सोसायटी
रीवा संभाग, रीवा

3	Desh Deepak Singh	Shri.Jayanandan Singh	कोषाध्यक्ष	140,Panjreh,Singrauli (M.P.), Nehru Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	business
4	Shri.Chandrakirt sharan Singh	Shri.SatruShudan Singh	उपाध्यक्ष	648,Medhauli,Singrauli (M.P.), Gayatri Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	business
5	Sheela Singh	Shri.Chandrakirt Sharan Singh	सदस्य	648,Medhauli,Singrauli (M.P.), Gayatri Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	house wife
6	Shri. Jayanandan Singh	Shri.Janardan Singh	सदस्य	140,panjreh,Singrauli (M.P.), Nehru Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	business
7	Smt.Manju Singh	Shri.Jayanandan Singh	संयुक्त सचिव	140,panjreh,Singrauli (M.P.), Nehru Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	house wife

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	Dr.Pankaj singh , Shri.Chandrakirt sharan singh, 648,Medhauli,Singrauli (M.P.), Gayatri Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	
2	Smt.Priya singh , Dr.Pankaj Singh, 648-Medhauli,Singrauli(M.P.), Gayatri Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	Priya singh
3	Desh Deepak Singh , Shri.Jayanandan Singh, 140,Panjreh,Singrauli (M.P.), Nehru Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	D.D.Singh
4	Shri.Chandrakirt sharan Singh , Shri.SatruShudan Singh, 648,Medhauli,Singrauli(M.P.), Gayatri Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	
5	Sheela Singh , Shri.Chandrakirt Sharan Singh, 648,Medhauli,Singrauli (M.P.), Gayatri Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	शीला सिंह
6	Shri. Jayanandan Singh , Shri.Janardan Singh, 140,panjreh,Singrauli (M.P.), Nehru Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	
7	Smt.Manju Singh , Shri.Jayanandan Singh, 140,panjreh,Singrauli(M.P.), Nehru Nagar, सिंगरौली, सिंगरौली, Madhya Pradesh	मंजु सिंह

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जारी

सूचना अधिकारी
कार्या. असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं सोसायटी
रीवा संभाग, रीवा

...gistration No. of the Society — 11475
Date of Registration — 9/1/14
Date of Filing —
Registrar

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे
चालान क्रमांक SBIN00061591475261220139 7963
नियमावली
पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी
पहचान पत्र के लिये Permanent Account Number — पहचान पत्र का क्रमांक BHYPS3057D
पदाधिकारी के पता की जानकारी
पता के लिये Driving License — पते का क्रमांक MP66N20130044633
Uploaded ID Proof
Uploaded Address Proof

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जारी

9-1-2014
सूचना अधिकारी
कार्या. असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं सोसायटी
रीवा सम्भाग, रीवा

साक्षी:-
हस्ताक्षर :-..........
साक्षी का नाम :- SANJAY KUMAR SINGH S O KRISHNA PRATAP SINGH
साक्षी का पिता/पति:- -
पूर्ण पता :- 54,VILL-DADAR,POST-GONDWALI,DIST-SINGRAULI,MP-486889

2116/14
9/1/2014

11475
4/1/14

नियमावली

1.	सोसायटी का नाम शीला शिक्षा एव जन कल्याण समिति होगा।
2.	सोसायटी का कार्यालय (पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) चंद्र शील कुञ्ज गायत्री नगर सिंगरौली मध्यप्रदेश 486889 तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में होगा।
4.	**सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:**
1	इस पुण्य पवित्र मातृभूमि भारत की अनादी काल से चली आ रही महान संस्कृति के संक्षरण एवं संवर्धन के लिए प्रचारात्मक एवं विविध गतिविधियों को संचालित करना एवं प्रोत्साहित करना और संरक्षण प्रदान करना जिससे भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिस्थापना में सहायता हो |
2	घुमंतू जात, अनुसूचित जात एवं जनजात के उत्थान एवं विकास हेतु विशेष कार्य करना
3	सामाजिक कुरीतियों जैसे बालविवाह,जातिवाद,क्षेत्रवाद,का विरोध करना,महिला उत्पीडन एवं शोषण के खिलाफ आवाज उठाना.
4	अनुसूचित जाति एवं जनजाति को तकनीकी प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित कारन.
5	आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उनके लिए विकासोन्मुखी कार्यक्रम करना/कराना व आदिवासी छात्रावास का निर्माण करना/कराना.
6	सिंगरौली क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान,विद्यालय,महाविद्यालयपुस्तकालय,अध्ययन केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था करना तथा उचित व विधिवत संचालन करना/कराना
7	क्षेत्र के लोगों को जागरूक बनाना,कंप्यूटर पाठ्यक्रमों का संचालन कराना,नई शिक्षा पद्धति/प्रणाली को ध्यान रखते हुए उच्च तकनीकी शिक्षा,व्यावसायिक शिक्षा,चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च पारम्परिक शिक्षा को संचालित करना/कराना
8	मध्यप्रदेश के लोगों को सर्वांगीण विकाश को ध्यान में रखते हुए उनके लिए शैक्षणिक,अध्यात्मिक एवं नैतिक कार्य का विधिवत संचालन करना/कराना.
9	कृषि कार्यक्रमों के आयोजन तकनीकी तरीको का प्रसार करना.
10	पर्यावरण के संतुलन को बनाने तथा वनों के संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा वनवासियों के विकाश कार्यक्रम करवाना एवं राष्ट्रीय पर्यावरण जागुरुकता अभियान.
11	अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की व्यवस्था करना/कराना बधिर,अंधे व विकलांगजनो को विशेष सहाएता प्रदान करना व उनके सर्वांगीण विकाश हेतु प्रयाश करना.
12	अपने क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा के महत्त्व को बताते हुए उनका विकाश व प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार करना एवं रचनात्मक कार्य करना/कराना.
5.	सदस्यता- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे:-
	(अ) संरक्षक सदस्य:- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये **5000** या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ब) आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये **2000** या अधिक देकर, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये **3000** या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
	(स) साधारण सदस्य- जो व्यक्ति रूपये **50** माह रुपये **600** प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा व सदस्यता ... साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह

अध्यक्ष
गायत्री नगर
जिला सिंगरौली

हस्ताक्षर
सचिव
गायत्री नगर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

हस्ताक्षर
कोषाध्यक्ष
नेहरु नगर, सिंगरौली
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

9-1-2014

सूचना अधिकारी
कार्या. असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं सोसायटी
जिला सिंगरौली, रीवा

तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) अन्य सदस्य- जो व्यक्ति रूपये **100** माह रुपये **1200** प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा व अन्य सदस्य होगा। अन्य सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो अन्य सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

सम्माननीय सदस्य- संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

6. **सदस्यता की प्राप्ति**-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा| ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यता**- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-
   1.आयु 18 वर्ष से कम न हो।
   2. भारतीय नागरिक हो।
   3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
   4.सदचरित्र हो तथा मधपान न करता हो |

Registration No. of the Society 11475
Date of Registration
Date of Filing

8. **सदस्यता की समाप्ति**- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:-
   1. मृत्यु हो जाने पर|
   2. पागल हो जाने पर|
   3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर|
   4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर|
   5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-
   1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
   2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर|
   3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. **(अ) साधारण सभा**- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी | उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब)प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
गायत्री नगर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

हस्ताक्षर
सचिव
गायत्री नगर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

सूचना अधिकारी
कार्या. असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं सोसायटी
रीवा संभाग, रीवा

हस्ताक्षर
कोषाध्यक्ष
गायत्री नगर, सिंगरौली
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-**
(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा [illegible]
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
(1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-**
(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
(द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।
(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाऐगी।

15. **अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. **सचिव(मंत्री) के अधिकार-**
(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
(2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये **5000** व्यय करने का अधिकार होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी [illegible]।

अध्यक्ष
आदर्श नगर
जिला सिंगरौली

हस्ताक्षर
सचिव
गायत्री नगर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

हस्ताक्षर
कोषाध्यक्ष
नेहरू नगर, सिंगरौली
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

सूचना अधिकारी
कार्या. असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं सोसायटी

शीला शिक्षा एवं जन कल्याण समिति चन्द्रशीलकुंज, गायत्री नगर सिंगरौली (म.प्र)

समिति की सूची

कं	सदस्य का नाम	सदस्यता की श्रेणी	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	श्री चन्द्र कीर्ति शरण सिंह तनय श्री शत्रुसूदन सिंह	संरक्षक	व्यक्तिगत व्यवसाय	गायत्री नगर सिंगरौली	[signature]
2	श्री साधवेन्द्र सिंह तनय श्री हेम प्रकाश सिंह	संरक्षक	व्यवसायी	मेढौली, सिंगरौली	Singh
3	श्रीमति प्रिया सिंह पत्नी श्री डॉ. पंकज सिंह	संरक्षक	गृहणी	गायत्री नगर सिंगरौली	Priya Singh
4	श्री देवेन्द्र प्रताम सिंह तनय हरिशंकर सिंह	संरक्षक	व्यवसाई	मेढौली, सिंगरौली	Devendra Pratap
5	श्री मनोज सिंह तनय श्री रामायण सिंह	साधारण	वरिष्ठ अध्यापक	शा.उ.मा.वि.गोरबी कोलियरी, सिंगरौली	[signature]
6	श्री सतीश सिह तनय स्व. शैलेन्द्र सिंह	आजीवन	प्रायवेट जाब	नेहरू नगर, रीवा	Satish
7	श्री बिपिन पाण्डेय तनय श्री रामायण प्रसाद पाण्डेय	साधारण	प्रायवेट जाब	ग्राम,पो. चन्दवाही तह. बहरी जिला- सीधी	[signature]
8	श्रीमती बीणा तिवारी पत्नी श्री एस.के. तिवारी	साधारण	प्राध्यापक	शा. महा.विद्या.बैढ़न, सिंगरौली	[signature]

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जारी।

11/2/16
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाये रीवा

Priya Singh
Secretary

President

Sheela Shiksha Evam Jan Kalyan Samiti